झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1146 वर्ष 2017

श्री देव कुमार सिंह, पे0 स्वर्गीय राजबल्लभ सिंह, निवासी–स्टेशन रोड तेतुलमारी (माडा कार्यालय के पास), डाकघर–सिजुआ, थाना–तेतुलमारी, जिला–धनबाद

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अपने अध्यक्ष, धनबाद के माध्यम से
2. प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद
3. सचिव, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद
5. लेखा अधिकारी, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री राकेश कु0 सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री रूपेश सिंह, अधिवक्ता

02 / 21.03.2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता, जो सुरक्षा गार्ड के पद पर काम कर रहा था, प्रतिवादी–खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद (संक्षेप में एम0ए0डी0ए0) की सेवाओं से 30.06.2016 को

सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा, महंगाई भत्ते, क्षेत्रीय भत्ते, छठे वेतन संशोधन के लाभ और ए0सी0पी0 के लाभ आदि की बकाया राशि का भुगतान अभी तक उसे नहीं किया गया है, हालांकि उसने अनुलग्नक–2 श्रृंखला दिनांक 27.07.2016 के माध्यम से अभ्यावेदन दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ता के कुछ सेवानिवृत्ति के बाद के बकाये और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए, रिट याचिका का निपटारा प्रत्यर्थी सं0 2–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए अभ्यावेदन देने की अनुमति देकर किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा और याची के अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके बाद के 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की

शिकायतें सही पाई जाती हैं और वह सेवानिवृत्ति के बाद बकाया और अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया पाने का हकदार है, तो प्रतिवादियों–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ इसका संवितरण भी किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

6. तदनुसार, यह रिट याचिका उपरोक्त शर्तों में निपटाई जाती है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)